रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092025-266098
CG-DL-E-12092025-266098

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 574]	**नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 10, 2025/भाद्र 19, 1947**
No. 574]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 10, 2025/BHADRA 19, 1947**

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 618(अ).— केंद्रीय सरकार, बायलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक (अर्हता और अनुभव) नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के पदों पर व्यक्तियों की अर्हता और अनुभव का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक (अर्हता और अनुभव) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से बायलर अधिनियम, 2025 (2025 का 12) अभिप्रेत है;

(ख) "मुख्य निरीक्षक", "उप मुख्य निरीक्षक" और "निरीक्षक" से अधिनियम के अधीन क्रमशः मुख्य निरीक्षक, उप मुख्य निरीक्षक और निरीक्षक के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ग) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य" से, केन्द्रीय या राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय या संस्था, "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद" द्वारा अनुमोदित इंजीनियरी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इंस्टीट्यूसन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा अनुमोदित प्राईवेट या सम विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3. (1) मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होगा, अर्थात:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; और

(ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या इस अधिनियम और इसके तद्धीन विरचित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय क्षमता में दस वर्ष का अनुभव; या उप मुख्य निरीक्षक के रूप में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव; या उप मुख्य निरीक्षक के रूप में और निरीक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष का कुल अनुभव; या निरीक्षक के रूप में न्यूनतम आठ वर्ष का अनुभव।

(2) उप मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होगा, अर्थात:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; और

(ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण में या इस अधिनियम तथा तद्धीन विचरित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में प्रबंधकीय क्षमता में छह वर्ष का अनुभव; या निरीक्षक के रूप में न्यूनतम चार वर्ष का अनुभव।

(3) निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हता और अनुभव होगा, अर्थात्:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से मैकेनिकल या उत्पादन या विद्युत संयंत्र या धातुकर्म इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री; और

(ख) बायलरों के डिजाइन, संनिर्माण, परिनिर्माण, प्रचालन, परीक्षण, मरम्मत, अनुरक्षण या निरीक्षण या इस अधिनियम और तद्धीन विचरित नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन में तकनीकी कार्मिक के रूप में दो वर्ष का अनुभव:

परंतु मुख्य निरीक्षक या उप मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के रूप में पहले से ही कार्य कर रहे व्यक्ति की अर्हता और अनुभव, राज्य सरकार के विकल्प के अनुसार राज्य में विद्यमान भर्ती नियमों द्वारा शासित हो सकेगा।

[फा. सं. पी-30015/5/2025-बॉयलर]

डॉ. संध्या भुल्लर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th September, 2025

G.S.R. 618(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (d) of sub-section (2) of section 39 of the Boilers Act, 2025 (12 of 2025) and in supersession of the Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules to regulate the qualifications and experience of persons to the posts of Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Chief Inspectors, Deputy Chief Inspectors and Inspectors (qualification and experience) Rules, 2025.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Boilers Act, 2025 (12 of 2025);

(b) " Chief Inspector", "Deputy Chief Inspector" and "Inspector" respectively, shall mean, a person appointed to be as a Chief Inspector, a Deputy Chief Inspector and an Inspector under the Act;

(c) "Recognised University or equivalent" means a Central or State funded University or Institution, Engineering College approved by "All India Council for Technical Education", Private or Deemed University approved by the University Grants Commission, Institution of Engineers.

3. (1) A person to be appointed as Chief Inspector shall have the qualification and experience, namely:-

(a) a bachelor's degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognised University or equivalent; and

(b) ten years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Act and the rules and regulations framed thereunder; or minimum four years experience as Deputy Chief Inspector; or minimum eight years total experience as Deputy Chief Inspector and as Inspector; or minimum eight years experience as Inspector.

(2) A person to be appointed as Deputy Chief Inspector shall have the qualification and experience, namely:-

(a) a bachelor's degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognised University or equivalent; and

(b) six years experience in a managerial capacity in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Act and the rules and regulations framed thereunder; or minimum four years experience as Inspector.

(3) A person to be appointed as an Inspector shall have the qualification and experience , namely:-

(a) a bachelor's degree in Mechanical or Production or Power Plant or Metallurgical Engineering from a recognised University or equivalent; and

(b) two years experience as a technical personnel in the design, construction, erection, operation, testing, repair, maintenance or inspection of boilers or in the implementation of the Act and the rules and regulations framed thereunder:

Provided that the qualification and experience of a person already working as a Chief Inspector or a Deputy Chief Inspector or an Inspector may be governed by the existing recruitment rules in the State as per the option of the State Government.

[F. No. P-30015/5/2025-Boiler]

Dr. SANDHYA BHULLAR, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.12 11:42:52 +05'30'